

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 / कैम्प कोर्ट सलुम्बर

::: आदेश :::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खैराड व भू.अ.नि. खैराड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सलुम्बर/नायब तहसीलदार/नायब तहसीलदार झल्लारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम घाटपुर तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत 2015-78 में खाता संख्या 43, 44, 45 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	घाटपुर	43, 44, 45	गोवना पुत्र कमजी	गोविन्दराम पुत्र कमजी

उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर, जि. उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- रा.लो.अ./2022/1426

प्रतिलिपि एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार सलुम्बर जिला उदयपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री गोविन्दराम S/o कमजी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(अध्यक्ष)
राजस्थान लोक सेवा समिति
वकिंग सिविल न्यायाधीश
दिनांक - 15/05/2022
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर जिला उदयपुर